कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 510 / 13 सी0

दिनांक 22-04–2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद–पिथोरागढ़ के अंर्तगत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक 5566 / 12–1 दिनांक 17–03–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या नवीन पत्र के साथ सलंग्न कर पाँच–पाँच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

अतः सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की हार्ड कॉपी एवं ऑनलाइन पुनः प्रेषित की जा रही है।(प्रति सलंग्न) कृपया अपने स्तर से विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

22/04/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट, पिथौरागढ़।

पत्रांक 510 /13सी तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट, पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक–498/13सी0 दिनांक 21-04-2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद–पिथोरागढ़ के अंर्तगत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून का पत्रांक 188/12–1 दिनांक 15. 07.2022 व पत्रांक संख्या 2178/12–1 दिनांक 28.02.2025 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 5566/12–1 दिनांक 17 मार्च,2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपत्ति का निराकरण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

क्र. स.	आपत्ति	निराकरण
1	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011–FC(Vol–1) दिनांक–06.01. 2022 द्वारा एन०पी०वी० की दरों का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol–1) दिनांक–19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकार स्तर से निराकरण किया जाना है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/ खतौनी नं० अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र /उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करतें हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 हे० से कम है, जिसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 हे० से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है, जिसमे वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।
4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखन में ही वृक्षों का पातन किया गया है एवं स्वीकृत समरेखन में ही मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (प्रति सलंग्न)
5	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यलय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकार द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है। (छाया प्रति सलंग्न)
6	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 हे० से कम है, जिसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 हे० से कम है, जिसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण कर पांच प्रतियों में सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्रकरण में अपने स्तर से विधिवत् स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

21/04/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

21/04/25

पत्रांक /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांक /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, जनवरी, 2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में रूंग–सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–446/x-4-15/1(82)/2018 दि0–25–04–आपकी पत्र सं0 2461 दि0 24–12–2018।

संदर्भित पत्र के कम में राज्य सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में रूंग–सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि को कतिपय शर्तों के अधीन जिसका उल्लेख सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश में दिया गया है, के अधीन प्रत्यावर्तन किया जाने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट, पिथौरागढ़ के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने उक्त पत्रांक द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी वन भूमि के हस्तान्तरण की शर्तों के अनुसार एन0पी0वी0, आस–पास उचित वृक्षारोपण की धनराशि भुगतान किया जा चुका है, तथा उनके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के विधिवत हस्तान्तरण में लगाये जाने वाली अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी है।

शासनादेश सं0–156/X4–15/1(57)/2015 दि0 30–3–2015 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये रूंग–सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे0 राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति दिये जाने के पश्चात निम्न प्रतिबन्धो के अधीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1–प्रयोक्ता एजेन्सी को राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान करते समय लगायी गयी समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2–राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उसमें लगायी गयी शर्तो का भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पालन किया जाना होगा।

3–मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से किया जाना है। अतः वन विकास निगम द्वारा वृक्षों के पातन के उपरान्त ही वन मोटर मार्ग में कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। किसी भी दशा में वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाडकर पहाड की ढाल से नीचे नही लुडकाया जायेगा। यदि निर्माण में बाधक वृक्षों के वन निगम द्वारा कटान से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी या उसके ठेकेदार द्वारा वृक्षों का जे0सी0बी0 से उखाडकर कर लुडकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगी।

4– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डम्प किया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को पहाडी ढलान से नीचे जगह–जगह नहीं फैलाया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी–नालो में नहीं डाला जायेगा।

5– मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डालने के पश्चात इस डम्पिंग यार्ड का वैज्ञानिक तरीके से वानस्पतिक उपचार किया जाना है, जिससे मलवा आगामी वर्षो में बहकर नदी में अथवा नालो में न जाने पायें, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इन क्षेत्रों के उपचार के लिये वन विभाग द्वारा आगणित धनराशि को उपलब्ध कराया जाना होगा, तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विभ्र (handwritten page mark, partly illegible)

:: प्रमाण पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद–पिथोरागढ़ के अंर्तगत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखन में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखन में प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 511 /13सी0 दिनांक 22-04 –2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद–पिथोरागढ़ के अंर्तगत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 446/X–4–18/1 (82)/2018 दिनांक 25.4.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में शर्तो का अनुपालन की बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

क्र. स.	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखान हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1905 के अंतर्गत आई०ए०स०–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ०सी०, दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूख्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा० उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार का पत्र स० 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन०पी०वी० शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न–2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न–3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस०बी०–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट /चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5.3.2007 एफ०सी०दि० 5.2.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या S.B. 25229 Corporetion Bank FCS Banglore 21/1 rd Floor Sellta Tawers Mission Road Banglore 560027 (N.P.V.) एवं प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर जमा कर दी गई है। (बैंक चालान की छाया प्रति संलग्न–4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावितः निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न–5)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न–6)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	खण्ड स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः उक्त शर्तो का अनुपालन कर पांच प्रतियों में सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्रकरण में अपने स्तर से विधिवत् स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

22/04/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

पत्रांक /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 836 / 13सी0 दिनांक 29.06 -2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः- जनपद पिथौरागढ़ में रूंग सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संदर्भ में।

संदर्भः- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 446/X-4-18/1(82)/2018 दिनांक 25.4.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 246/13सी दिनांक 24.12.2018।

महोदय,,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0एन0-।।-09/98 एफ0सी0 दिनांक 13.2.2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2015 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है।

1. प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न-1)
2. मा0 उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार का पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न-2)
3. एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न-3)
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5.3.2007 एफ0सी0दि0 5.2.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या S.B. 25229 Corporetions Bank FCS Banglore 21/1 rd Floor Sellta Tawers Mission Road Banglore 560027 (N.P.V.) एवं प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर जमा कर दी गई है। (बैंक चालान की छाया प्रति संलग्न-4)
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न-5)
6. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न-6)
7. खण्ड स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

29.6.2020
(इं0 आशुतोष)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

O/C

पत्रांक 836 / 13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 धारचूला को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

O/C

29.6.2020
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांक 634 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 अगस्त, 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निमार्ण खण्ड पी0डब्लू0डी0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में रूंग--सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक 1128 दि0 06--06--2018 व उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 446(1)/X--4--18/1(82)/2018 दिनांक 25.04.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.450 हे0	8,97,000/—(ईको क्लास) VI) घनत्व 0.4	403650/—
2	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण	3 कि0मी0 1100 रू0 प्रति वृक्ष	4,17,827/—	12,53,481/—

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

CB Pag No. 144 - Date 19-11-018

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-11-2018

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6114200815
MoEF/SG File No.	01(82)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	1657131/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114200815 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-11-2018

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6114200815
MoEF/SG File No.	01(82)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	1657131/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114200815 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

SBIN318323527097

भारतीय स्टेट बैंक/SBI Askot, Pithoragarh (05972)
IF No.: 7081685
19 NOV 2018
DEEPAK SINGH
CHECKER MAKER

19/11/18
Executive Engineer
Consluction Division
P. W. D. Askote
Code No. 1863

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिर्खा, तहसील– धारचूला, जिला– पिथौरागढ

अनापत्ति प्रनाणपत्र

उत्तराखण्ड ने जनपद – पिथौरागढ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी) परियोजन के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.450 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.450 हे0 वन भूमि का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट,विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिर्खा द्वारा दिनांक 2-5-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिर्खा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमिनिमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

ग्रा0 पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिर्खा
वि0ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0 / –
प्रधान

ग्राम पंचायत सिर्खा
प्रधान
वि0ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपपत्र–23.1

दिनांक 21/5/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – सिर्खा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हितेन्द्र सिंह पातिपाल	[signature]
2	पूरन सिंह	पूरन सिंह
3	कुन्दन राम	कुन्दन राम
4.	संजय सिंह ह्यांकी	Hyanki
5	जसपाल सिंह	[signature]
6	वीरेन्द्र [illegible]	[signature]
7	गंगा सिंह रौतेला	[signature]
8	आनन्दी	आनन्दी
9	[illegible]	[signature]
	रणजीत सिंह	HYANKI
10	रविन्द्र राम	[signature]
11	प्रेमराम	प्रेमराम
	पान सिंह वर्मा	[signature]
	जीवन वर्मा	[signature]
	उसर	[signature]
	[illegible]	

[stamp: ग्राम पंचायत ... प्रधान ... धारचूला (पिथौरागढ़)]

ह0 /–
ग्राम प्रधान

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत सिर्खा वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)]

प्रपत्र--23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिदांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिदांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी) (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि,0.450हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.450 हे0 वन भूमि) का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - धारचूला) की दिनांक 20-5-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ए.के. पाण्डेय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-- श्री ए.के. पाण्डेय उपजिलाधिकारी -- धारचूला ------अध्यक्ष
2-- श्री एम. एस. सेमिया उप प्रभागीय वनाधिकारी- धारचूला -------सदस्य
3-- श्री जीत राम सहायक समाज कल्याण अधिकारी- धारचूला सदस्य / सचिव
4-- श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र -- 05 जयकोट- ग्रा. सभा

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला-(पिथौरागढ़)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिदांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी)। परियोजना हेतु 0.450 हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री एम. एस. सेमिया द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रमीण सड़क सयोजन योजना के जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिदांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट

प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला,
जनपद – पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दशरथी

सदस्य
पंचायत 05 जयकोट
वि०ख० धारचूला (पिथौरागढ)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला
जनपद – पिथौरागढ

राजस्व
उप निरीक्षक
क्षेत्र........
तह०........
जिला पिथौरागढ

तहसीलदार
धारचूला

उप जिलाधिकारी
धारचूला

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिखों से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण (लम्बाई 3 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग [illegible] प्रयाक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व सलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति / वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र--23.4

परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद -- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के सिर्दांग सिर्खा से रुंग तक मोटर मार्ग का निमार्ण।(लम्बाई 3 कि0मी0) । परियोजना के निर्माण हेत 0.450 हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सख्या 11–9/98--एफ0सी0 दिनाक 05--02--2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा--सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

FROM -1

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

No. .... Dated 20-5-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.450** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of RUNG SIRKHA MOTAR Road Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Sirkha, Sirdaang, Rung village(s)** in Dharchula **Tahsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **0.450** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub- division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.450** hect. Of forest area proposed for diversion . a copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging tot scheduled tribes and other Traditional Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of oncerned motor road os affixed the the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Sushil Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 9/7/2015 at time 11:30.....at Pithoragarh in which application claiming rights of Sosa area measuring .0.450.. hect for the construction of Sirdhang-Sirkha-Roong Motor Road 3.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Dharchula sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Pithoragarh
Dated: 09/7/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रूंग–सिर्खा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि० धारचूला (अस्कोट)
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
अस्कोट

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला
वन प्रभाग पिथौरागढ

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रूंग–सिर्खा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

J.E.

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0 धारचूला (अस्कोट)
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अस्कोट

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 01352767611

संख्याः–2178 /12–1 देहरादूनःदिनांक 28 फरवरी, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/14200/2015)

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 446/X-4-15/1(82)/2018 दिनांक 24–04–2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 5622/12–1 दिनांक 18–06–2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम मे अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आपको लिखा गया था, किन्तु एक लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है, जिस कारण प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति मे निर्गत पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रश्न उत्तर कॉलम में ऑनलाईन एव ऑफलाईन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः–2178/12–1 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, पिथौरागढ।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 188 / FP/UK/ROAD/14200/2015 देहरादून दिनांक 15 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अंर्तगत लंग रिख्ती मोटर मार्ग हेतु 0.450 हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–आपका पत्रांक –5622 / 12–1, दिनांक 18.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, उक्त के कम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक–25.04.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी अनुपालन आख्या आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित की गयी सूचना / आख्या का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियां इंगित हुयी है:–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा / खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र / उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करतें हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।
5. यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यलय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269 / P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकबा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन सूचना / आख्या अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को ऑनलाईन / ऑफलाईन 03 मूल प्रतियों में में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या– 188 / FP/UK/ROAD/14200/2015 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः–1.प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ को उक्त संदर्भित विषयक पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या का प्रयोक्ता अभिकरण से भली भांति परीक्षण कराकर तथ्यात्मक आख्या संबधित वन संरक्षक के माध्यम से सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2.अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अस्कोट(पिथौरागढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0गुप्ता)
वन संरक्षक।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 5566 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़ 17, मार्च, 2025।

पत्रांक 727
फाईल नं० 13 सी
दिनांक 02/04/2025
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रूंग सिर्खा मोटर मार्ग हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(FP/UK/ROAD/14200/2015)

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून का पत्रांक 188/12–1 दिनांक 15.07.2022 व पत्रांक संख्या 2178/12–1 दिनांक 28.02.2025

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सापेक्ष कतिपय आपत्तियां उल्लेखित की गयी थी, जिसका निराकरण आपके स्तर से वर्तमान तक भी नहीं किया गया है। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा पुनः अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अनुपालन आख्या संलग्नको सहित शीध्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उच्च स्तर को सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सकें।

संलग्न - संदर्भित पत्र।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AE-II / अभियन्ता

आपत्तियों का निराकरण
कर आख्या प्रेषित
करें।

29/03/25

29/03/25